



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271558
CG-DL-E-04042026-271558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]
No. 236]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

फा.सं. CEA-PS-12-13/3/2022- PSPA-II Division.—राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में) ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे तालिका में उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पारेषण योजना को अधिसूचित किया था।

क्रम सं.	पारेषण योजना का नाम	राजपत्र अधिसूचना जिसके द्वारा पारेषण योजना अधिसूचित की गयी थी
1	लुहरी चरण-I एचईपी से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	दिनांक 02.06.2022 [फा.सं. CEA-PS- 11-15(11)/1/2021-PSPA I Division]

2. अब ट्रांसमिशन पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) ने 25.02.2026 को आयोजित 38वीं बैठक में संशोधित योजना एमओपी के अनुमोदन हेतु अनुशंसित की है। अतः एतद्वारा उक्त योजना को इसके कार्यक्षेत्र सहित अन-अधिसूचित किया जाता है।

राकेश कुमार, सचिव, के.वि.प्रा.
[विज्ञापन-III/4/असा./04/2026-27]

MINISTRY OF POWER

(Central Electricity Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority had notified following transmission scheme for implementation under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) vide Gazette Notification mentioned in below table:-

Sr. No.	Name of Transmission Scheme	Gazette Notification by which Transmission Scheme was notified
1	Transmission system for evacuation of power from Luhri Stage-I HEP	Dated 02.06.2022 [F. No. CEA-PS- 11-15(11)/1/2021-PSPA I Division]

2. Now, the National Committee on Transmission (NCT) in the 38th meeting held on 25.02.2026 has recommended modified scheme for approval of MoP. As such, the above scheme including its scope is hereby de-notified.

RAKESH KUMAR, Secy., CEA
[ADVT.-III/04/Exty./04/2026-27]